



**SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAEBALELI ROAD,
LUCKNOW- 226014**

OFFICE OF THE DIRECTOR

Phones: 0522-2668112, 0522-2494059, 0522-2494001, 0522-2494003, 0522-2494280
FAX: 91-522-2668129

पी०जी०आई० / निदेशक / कैम्प / 329 / 2023

दिनांक: 31.05.2023

कार्यालय आदेश / निदेशक कैम्प
आरएसडी० सं०. 1485 / 13

कार्यालय आदेश

प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-4 / 2023 / 463 / 43-1-2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यालयी अभिलेखों की वीडिंग / रिकार्डिंग किये जाने हेतु अलग-अलग समयावधि निर्धारित की गयी है। निर्गत सूची में ऐसे अभिलेखों का विवरण है जो लगभग सभी कार्यालयों में सामान्यतः रखे जाते हैं। इस सूची में यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न अभिलेखों को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाए। अभिलेखों हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक कार्यालय के समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर अनावश्यक अभिलेखों की वीडिंग / रिकार्डिंग का कार्य समय-समय पर कराया जाना आवश्यक है।

उक्त के दृष्टिगत शासनादेश द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त विभागाध्यक्ष, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालयी अभिलेखों की वीडिंग / रिकार्डिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(प्र० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर निदेशक
2. अधिष्ठाता / कार्यपालक कुलसचिव
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंधन)
5. वित्त अधिकारी
6. सभी विभागाध्यक्ष
7. सभी संकाय सदस्य
8. समस्त अधिकारी / कर्मचारी
9. विभागाध्यक्ष, बी०एच०आई० को इस आशय से प्रेषित कि संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त नोटिस बोर्ड
11. कार्यालय प्रति

(प्र० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

S.G.P.G.I.M.S., LUCKNOW
DIRECTOR OFFICE
E-Office No. 70029
Date 21/06/23
Time

प्रेषक,
के०रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

लेखनांक: दिनांक 28 अप्रैल, 2023

विषय- अभिलेखों का वीडिंग/रिकार्डिंग कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग विषयक मुख्य सचिव महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र सं-0-1512/43-1-99-37(1)/84, दिनांक 04 अगस्त, 1999 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त पत्र के साथ एक सूची संलग्न की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग हेतु अलग-अलग समयावधि निर्धारित की गई है। निर्गत सूची में ऐसे अभिलेखों का विवरण है जो लगभग सभी कार्यालयों में सामान्यतः रखे जाते हैं। इस सूची में यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न अभिलेखों को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाए। अभिलेखों हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक कार्यालय के समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर अनावश्यक अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग का कार्य समय-समय पर कराया जाना आवश्यक है। अनावश्यक अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग न किए जाने और आवश्यक अभिलेखों के सुव्यवस्थित रूप से न रखे जाने के परिणामस्वरूप विभागीय कार्यों में सभी कार्मिकों का अनावश्यक समय नष्ट होता है और इससे कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। उक्त पत्र दिनांक 04 अगस्त, 1999 के साथ संलग्न सूची को अद्यावधिक संशोधित किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग का कार्य समय-समय पर तत्परता से कराया जाए तथा कृत कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।



भवदीय,

ह०/

(के० रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संस्तुत सामान्य अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग हेतु निर्धारित समय/अवधि

क्रम सं०	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए/नष्ट किया जाए।	टिप्पणी
1	2	3	4

सामान्य पत्र व्यवहार

1.	उपस्थिति पंजिका (प्रान्तीय फार्म नं० 161)	एक वर्ष	
2.	क- आकस्मिक अवकाश पंजी (एम०जी०ओ० के 1981 संस्करण, पैरा 1086)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद	
	ख- आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्रों की पत्रावली	कलेन्डर वर्ष समाप्ति के एक वर्ष बाद	
3.	आडिट महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की गई पत्रावलियाँ	आपत्तियों के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट तक	
4.	आय-व्ययक अनुमान की पत्रावलियाँ	दस वर्ष	
5.	सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कमी, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियाँ	अन्तिम निर्णय व वसूली, राइट ऑफ के पश्चात तीन वर्ष	
6.	डेड स्टाक, क्षयशील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों आदि के पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावलियाँ	स्टाक बुक में प्रविष्टि विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	
7.	निरीक्षण टिप्पणियाँ एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र व्यवहार की पत्रावलियाँ	उठाये गये बिन्दुओं, दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक	
8.	अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियाँ	स्थायी रूप से	
9.	प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पत्रावलियाँ	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष	
10.	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांगपत्र (इंडैन्ट) स्टेशनरी मैनुफॉर्म का पैरा 37 तथा 39 (क्रमशः प्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174)	तीन वर्ष तक	

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11.	दौरों के कार्यक्रम तथा टुअर डायरी यदि कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियाँ पूर्ण होने के बाद जो भी पहले हो, किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ से संबंधित हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद	
12.	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जाएगी शेष प्रतियाँ पाँच वर्ष तक	
13.	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/प्राप्त सामग्रियाँ तथा उनकी पत्रावली	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष बाद	
14.	सम्मेलनों/गोष्ठियों/मीटिंगों का कार्यवृत्त	एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाए शेष तीन वर्ष तक	
15.	विधानसभा/विधान परिषद/ लोकसभा/ राज्यसभा के प्रश्नों की पत्रावलियाँ	पाँच वर्ष किन्तु आश्वासन समितियों को दिए गए आश्वासनों की पूर्ति के पाँच वर्ष बाद	
16.	नियमावलियाँ, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया, परिपाठी, पद्धति तथा उनकी व्याख्या संशोधन तथा उनकी पत्रावलियाँ	स्थायी रूप से	
17.	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थायी रूप से	
18.	वीडिंग शिड्यूल/अभिलेख नियन्त्रण नियम/सूची	पुनर्संशोधन रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक	
19.	शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्डफाइलें	स्थायी रूप से।	
20.	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 19)	पच्चीस वर्ष तक	
21.	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इण्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20, 21, 26 आदि)।	रजिस्टर में दर्ज अस्थायी रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिए जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार लिए जाने के बाद	
22.	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थायी रूप से	
23.	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं 51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक	
24.	चालान बही (इनवायस) (प्रान्तीय फार्म नं 61)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक	
25.	आवधिक/सामयिक विवरणपत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट ऑफ पीरियाडिकल रिपोर्ट्स एण्ड रिटर्न्स)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक	
26.	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं 52)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

27.	शिकायती पत्रों की पंजी (एम0जी0ओ0 वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 772(7)	दर्ज पत्रों के अन्तिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर में उतार लेने के बाद	
28.	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर जहाँ गजट स्थायी रूप से रखा जाता है शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक।	
29.	सरकारी वाहनों की लॉगबुक तथा रनिंग रजिस्टर	वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात एक वर्ष बाद तक यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो।	
30.	समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर ऑफ कम्पलीटेड रजिस्टर्स)	किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियों को दूसरे रजिस्टर में उतार लिए जाने के तीन वर्ष बाद।	
31.	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर (लिस्ट ऑफ पैन्डिंग रिफरेन्सेज)	रजिस्टर समाप्त होने पर अवधेश अनिस्तारित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद।	
32.	अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण से संबंधित पत्रावली एवं रजिस्टर	समस्त वाद, अपील एवं प्रत्यावेदन के अन्तिम निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद।	
33.	प्रशिक्षण से संबंधित पत्रावलियाँ	5 वर्ष।	
34.	शार्टहैण्ड नोटबुक	एक वर्ष।	
35.	टाइपराइटर मरम्मत रजिस्टर एवं पत्रावलियाँ	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार उठप्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
36.	साईकिल मरम्मत रजिस्टर एवं पत्रावलियाँ	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार उठप्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
37.	कम्प्यूटर तथा कार्यालय इलेक्ट्रानिक उपकरण मरम्मत रजिस्टर एवं पत्रावलियाँ	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार उठप्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
38.	सामान्य पत्र	एक वर्ष, विवादित न होने पर।	

पुस्तकालय-

1.	राजकीय पुस्तकालयों में पंजीकृत सदस्यों (पाठकों) के प्रार्थना पत्रों की पत्रावली	आडिट हो जाने एवं आपत्ति निस्तारित हो जाने के एक वर्ष बाद	
2.	पुस्तक निर्गमन/वापसी पंजिका	पंजिका पूर्ण होने के पाँच वर्ष बाद	
3.	राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध समाचार पत्र/जर्नल्स	आडिट हो जाने एवं आपत्ति निस्तारित हो जाने के एक वर्ष बाद नीलामी की जाए।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्थापना/अधिष्ठान-

1.	कर्मचारियों तथा अधिकारियों की निजी पत्रावलियाँ(पर्सनल पत्रावलियाँ)	पेन्शन की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात पांच वर्ष तक।	निजी पत्रावलियाँ, व्यक्ति के स्थानान्तरण के साथ उसी प्रकार एक कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तरित की जानी चाहिए, जैसे सेवापुस्तिकार्य तथा गोपनीय आख्यायें आदि स्थानान्तरित की जाती हैं।
2.	अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गए प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन-पत्रों की पत्रावलियाँ	पाँच वर्ष। (चुने गए/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थनापत्रों को छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे।)	
3.	वाहन, साईंकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से संबंधित पत्रावलियाँ	अग्रिम की राशि ब्याज सहित यदि कोई हो तो उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष।	
4.	इनवैलिड पेन्शन स्वीकृति के मामलों की पत्रावलियाँ	पच्चीस वर्ष तक।	
5.	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन पर नियुक्ति संबंधी पत्रावलियाँ)	पेन्शन, ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पाँच वर्ष बाद।	
6.	ग्रेडेशन सूची	स्थायी रूप से।	
7.	सेवा पुस्तिकार्यों/सेवा नामावलियाँ	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 136-ए के अनुसार।	
8.	शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर ऑफ ओथ आफ एलिजिएन्स) (राजाजा संख्या-3105/दो-बी-163-52 दिनांक 23.01.54 तथा संख्या- 1221/दो-बी-163/64 दिनांक 15.05.64	नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नकल करके उन्हें सत्यापित करा लिए जाने के बाद।	
9.	स्थापना आदेश पंजी (इस्टैब्लिशमेन्ट आर्डर बुक) (राजाजा संख्या- ए-1792/ दस-तीन-1929, दिनांक 11.04.30)	स्थायी रूप से।	
10.	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण (राजाजा संख्या-ए-5641 /दस-15/7/62, दिनांक 24.02.65 द्वारा निर्धारित)	स्थायी रूप से।	
11.	गोपनीय चरित्रावलियाँ/गोपनीय आख्याएं	सेवानिवृत्त/पदत्याग या समाप्ति के उपरांत तीन वर्ष बाद। यदि कोई विवादित न हो।	
12.	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती बॉण्ड (वित्तीय नियम संग्रह	सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दस वर्ष बाद।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	खण्ड -5 भाग-1 का पैरा 69-73)	(1) मूल पत्रव्यवहार 10 वर्ष बाद। (2) वार्षिक सत्यापन का पत्र व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।	
13.	पंजी जमानत (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 का पैरा 69-73)	पैरा 73 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1। पद छोड़ने के 6 माह बाद या नये रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नकल कर लेने के बाद।	
14.	पेशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेशन की पत्रावली	सेवानिवृति पर स्वीकृति व भुगतान के पश्चात दस वर्ष।	
15.	पारिश्रमिक/पारितोषिक स्वीकृति संबंधी पत्रावलियाँ	भुगतान, आडिट आपति के अन्तिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रावली में प्रविश्टि के एक वर्ष बाद।	
16.	राजकीय कर्मचारियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन (वेरीफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एण्ड एन्टीसीडेन्ट्स)	सेवानिवृति के पाँच वर्ष बाद तक।	
17.	विभिन्न पदों के सूजन संबंधी पत्रव्यवहार की पत्रावली	पद का सूजन स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष तक।	
18.	नयी माँगों की अनुसूची संबंधी पत्रावली	सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाएगी। शेष पत्रावली स्वीकृति, अस्वीकृति के तीन वर्ष बाद।	
19.	वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक नियन्त्रण पंजी	रजिस्टर समाप्त होने के पांच वर्ष बाद। यदि किसी रोकी गई वेतनवृद्धि या दक्षतारोक का मामला अनिस्तारित न हो या कोई आडिट आपति का निस्तारण अवशेष न हो।	
20.	पेशन कन्ट्रोल रजिस्टर (राजाजा सं० जी-2-3994/दस-927-1958 दिनांक 10.02.64 में निर्धारित)	रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष बाद।	
21.	क- अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर (राजाजा सं० 1284/दो-बी-99-60 दिनांक 11.04.1961 में निर्धारित)	सभी दर्ज मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष बाद।	
	ख- अनुशासनिक कार्यवाही पत्रावलियाँ	क-अन्तिम दण्डादेश पारित होने व अपील निस्तारित होने के पश्चात तीन वर्ष बाद।	
		ख-आरोपों से बरी होने की दशा में अन्तिम आदेश पारित होने के पश्चात तीन वर्ष बाद।	
22.	प्रत्यावेदन/अपील नियन्त्रण पंजी (राजाजा सं० 7-2-1975-नियुक्ति (3) दिनांक 04.07.73 में निर्धारित)	सभी दर्ज प्रत्यावेदन/अपीलों के अन्तिम निस्तारण के पांच वर्ष बाद।	
23.	विष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर 1- लेजर 2- ब्राडशीट 3- इण्डैक्स 4- पासबुकें	सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवानिवृति के पांच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवशेष न रह गए हों। -----तदैव----- -----तदैव-----	सेवानिवृति के बाद संबंधित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर दे दी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		-----तदैव----- -----तदैव-----	
24.	मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबंधी पत्रावली	सभी मामलों में नियुक्ति आदेश की प्रति वैयक्तिक पत्रावली में रखे जाने के 10 वर्ष बाद।	
25.	सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से हुयी नियुक्ति	10 वर्ष तक।	
26.	तैनाती/स्थानान्तरण से संबंधित पत्रावलियाँ	5 वर्ष।	
27.	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति	महालेखाकार ३०प्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
28.	विभागीय चयन समिति से संबंधित पत्रावली	समस्त वाद, अपील एवं प्रत्यावेदन के अन्तिम निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद।	
29.	विभागीय परीक्षाओं/ टैस्ट की उत्तर पुस्तिकाएं	अन्तिम परीक्षा परिणाम की घोषणा के एक वर्ष बाद। यदि कोई विवादित न हो।	
30.	गर्भियों के लिए वाटरमैन की नियुक्ति	महालेखाकार ३०प्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
31.	गर्भियों एवं सर्दियों की वर्दी	महालेखाकार ३०प्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	

लेखा

1.	यात्रा भता प्रकरण	आडिट हो जाने के 1 वर्ष बाद।
2.	टी०ए० बिल तथा टी०ए० चैक रजिस्टर (वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का	आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।
3.	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्रावली	महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद।
4.	प्रासंगिक व्यय पंजी (कान्टीजेन्ट रजिस्टर) (वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा 173)	आडिट के 5 वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपति का निस्तारण अवशेष न हो।
5.	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेंस रोल) (वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा 138 फार्म - 11 बी)।	35 वर्ष। वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा 85 परिशिष्ट 16 के अनुसार।
6.	बिल रजिस्टर 11-सी, वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा 139।	आडिट हो जाने के तीन वर्ष के बाद।
7.	कैषबुक	आडिट हो जाने के 12 वर्ष के बाद, कोई आडिट आपति निस्तारण हेतु अवशेष न हों।
8.	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाजा सं० 2158/सोलह (71)/68 डी०टी० दिनांक 07.05.70 द्वारा निर्धारित)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपति शेष न हो।
9.	रेलवे रसीट रजिस्टर (आर०आर० रजिस्टर)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपति शेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		न हो।	
10.	टेलीफोन रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपति न होने तथा कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष बाद।	
11.	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली	व्यय के महालेखाकार के सत्यापन/अंतिम समायोजन के पश्चात दस वर्ष बाद।	
12.	बिल इन्कैशमेंट पंजी (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा 47-ए)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद, कोई आडिट आपति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न तो किसी धनराशि के अपहरण, चोरी, डैकैती आदि घटना घटी हो।	
13.	पी०एस०आर० (पेइज स्टैम्प्ड रसीद रजिस्टर) (राजाजा सं० ए-१-१५०/दस(२)/६० दिनांक २८.०४.६९ तथा ए-१-२८७८/दस-१५(५)-७८ दिनांक १०.०१.७९	महालेखाकार के आडिट की आपतियों के निस्तारण हो जाने के पांच वर्ष बाद।	
14.	टी०ए० कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित एलाटमेण्ट से अधिक व्यय किए जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो।	
15.	रसीद बुक इश्यू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं० ३८५) (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा २६)	दस वर्ष बाद यदि किसी रसीद बुक के यो जाने या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हो तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो।	
16.	परमागेन्ट एडवान्स रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा ६७(५))	स्थायी रूप से।	
17.	वैल्यूबिल रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा ३८)	-----तदैव-----	
18.	डुप्लीकेट की (चाबी) (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा २८ नोट (१))	स्थायी रूप से।	
19.	आवारीय भवनों का किराया पंजी (फार्म नं० २७) (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा २६५)	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष, यदि कोई अवशेष किराए की वसूली का प्रकरण या आडिट आपतियों का निस्तारण अवशेष न हो।	
20.	महालेखाकार ३०प्र० से प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान	आंकड़ों के पूर्व सत्यापन मिलान एवं एप्रोप्रिएशन एकाउण्ट को अन्तिम करने के पश्चात २ वर्ष।	
21.	राइट ऑफ हानियाँ	महालेखाकार ३०प्र० का आडिट हो जाने के ३ वर्ष बाद यदि कोई प्रकरण लम्बित न रह गया हो।	
22.	सरकारी धन और भण्डार के दुर्विनियोग और गबन	प्रकरण के पूर्ण अन्तिम निस्तारण हो जाने एवं महालेखाकार ३०प्र० का	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
23.	आवास भत्ता एवं अन्य भत्ता	महालेखाकार उ०प्र० का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
24.	भूमि तथा भवन पंजी (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 का पैरा 265 (ए) में निर्धारित)	स्थायी रूप से।	

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित अभिलेख-

1.	ऐसे मामले जिनमें प्रथम अपील न की गयी हो संबंधित अभिलेख	तीन वर्ष बाद	<p>यह नियम उ०प्र० सूचना आयोग में अनुरक्षित अभिलेखों पर लागू नहीं होगा। (शा.स. 25/2016/ 1206/43-1-2015- 37(1)1984 दिनांक 14.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार)</p>
2.	ऐसे मामले जिनमें प्रथम अपील की गयी हो संबंधित अभिलेख	तीन वर्ष बाद	
3.	ऐसे मामले जिनमें ३०प्र० सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गयी हो। (बिना किसी उल्लेखनीय निर्णय के) संबंधित अभिलेख	तीन वर्ष बाद अथवा ३०प्र० सूचना आयोग के अन्तिम निर्णय का अनुपालन, जो बाद में हो।	
4.	ऐसे मामले जिनमें ३०प्र० सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गयी हो (यदि उल्लेखनीय निर्णय हो) संबंधित अभिलेख	पाँच वर्ष अथवा ३०प्र० सूचना आयोग का निर्णय।	
5.	प्रथम अपील से संबंधित पत्रावलियाँ	तीन वर्ष बाद	
6.	द्वितीय अपील से संबंधित पत्रावलियाँ	तीन वर्ष बाद अथवा ३०प्र० सूचना आयोग के निर्णयों के अनुपालन तक, जो बाद में हो।	
7.	सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित पत्रावलियाँ यथा -दिशानिर्देश, परामर्श आदि	तीन वर्ष बाद	
8.	सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजीका	स्थायी रूप से रखना	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।